न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 328/20 दायरा दिनांक :–21.10.2020 निर्णय दिनांक :– 03.03.2021

1. बलबीर
2. रामकुवार
3. नन्दराम
4. जगदीश पुत्रान छीतर जाति अहीर निवासीयान धोकलनगर (ढाणी छापुर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र मामराज
2. भवानीशंकर पुत्र दुर्गा पौत्र मामराज
3. धर्मपाल
4. लीलाराम पुत्रान ईशर पौत्र मामराज
5. विमला
6. संतोष
7. रामरति
8. पार्वती
9. रोशनी पुत्रीयान ईशर पौत्रीयान मामराज
10. छोटी पत्नी ईशर जातियान जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति :– श्री बस्तीराम यादव– वकील वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

–ःनिर्णयः–

दिनांक 03.03.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 96/4.48 है0 वाके ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर में स्थित होकर प्रतिवादीगण के पिता व दादा मामराज पुत्र गंगाराम के कब्जेकाश्त खातेदार की आराजी थी, मामराज ने अपनी आराजी ख0न0 61 में से 22 बिस्वा एवम ख0न0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

96 में से 18 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लगायत 10 के पिता दुर्गा व ईशर के नाम बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.07.1976 के कर दिया था और मौके पर कब्जा केतागण का करा दिया। वादीगण व प्रतिवादी मानसिंह व उसके भाई दुर्गा व ईशर ने आपस मे तबादला किया था। वादीगण ने अपना ख0न0 95 में से 2 बीघा प्रतिवादीगण को बैयनामा कराया व प्रतिवादीगण के ख0न0 96 व 61 में से 2 बीघा का बैयनामा वादीगण के पक्ष मे दिनांक 15.07.1976 को कराये थे। बैयनामा का इन्तकाल वादीगण के पक्ष मे इन्तकाल संख्या 85 दर्ज कर दिया था परन्तु अब जानकारी हुई की उक्त इन्तकाल संख्या 85 केवल ख0न0 61 के बाबत ही दर्ज किया गया था। ख0न0 96 के बाबत इन्तकाल यह अंकित करते हुये अस्वीकार किया था कि आराजी का अपखंडन होता है इसलिए ख0न0 96 के बाबत इन्तकाल अस्वीकार किया जाता है एवम ख0न0 96 में से वादीगण ने 18 बिस्वा आराजी जरिये बैयनामा खरीद की है। मौके पर वक्त खरीद से काबिज है परंतु राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेतागण के नाम इन्द्राज हो रहा है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। वादीगण आराजी ख0न0 96 रकबा 4.48 में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से 6 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से से 6 बिस्वा एवम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के हिस्से में से 6 बिस्वा के बाबत अनुतोष चाहते है, वादीगण को आराजी मुतनाजा ख0न0 96/4.48 है0 वाके ग्राम हटूण्डी में से 18 बिस्वा के बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे आदि–आदि का अंकन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल आराजी ख0न0 96/4.48 है0 वाके ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर में से मिनवादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से 6 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से से 6 बिस्वा एवम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के हिस्से में से 6 बिस्वा कुल रकबा 18 बिस्वा अर्थात 0.22 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे एवम इसी कदर वादीगण के नाम का अमल किये जाने व उक्त हिस्से तक अनुपातिक रूप से प्रतिवादीगण के नाम हजफ किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलबाने से तलब किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब वादीगण के वाद को बिन्दुवार स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करवा दिया जावे हम सहमत है, हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा अंकित करते हुए पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवम पैरोकार सरकार को वास्ते जवाब सरकार बार–बार अवसर दिये जाने उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 15.07.1976 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल संख्या 85 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–3, पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शप[illegible] और पी डब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने [illegible]त्र के जिमनों को दोहराते हुए एवम वादीगण द्वारा जरिये रजिस्ट[illegible] आराजी ख0न0 61 के साथ–साथ विवादित आराजी ख0न0 96 में से 18 [illegible] आराजी प्रतिवादीगण के पिता व दादा मामराज पुत्र गंगाराम से खरीद किया जाना तथा मुताबिक बैयनामा इन्तकाल संख्या 85 दर्ज किया जाना एवम उक्त इन्तकाल केवल ख0न0 61 की खरीदशुदा आराजी का मंजूर किया जाना तथा ख0न0 96 के बाबत खरीदशुदा आराजी रकबा 18 बिस्वा के बाबत का इन्तकाल इस बाबत का नोट अंकित करते हुए कि ख0न0 96 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

अपखंडन होता है। अतः ख0न0 96 के रकबा 18 बिस्वा का बेचान अस्वीकार किया जाता है जबकि अन्य आराजी के साथ–साथ वादीगण ने एक ही बैयनामें से विवादित आराजी में से 18 बिस्वा आराजी भी खरीद की है। मौके पर खरीद के दिन से आज तक काबिज है निवेदन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत 3 वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत कर दिये जाने एवम मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजात वादीगण का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत वादीगण के वाद को यह न्यायालय उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर विवादित आराजी ख0न0 96 रकबा 4.48 है0 वाके ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजी ख0न0 96 रकबा 4.48 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से रकबा 6 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में से 6 बिस्वा एवम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के हिस्से में से 6 बिस्वा कुल 18 बिस्वा यानि 0.22 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम उपरोक्तानुसार ही वादीगण के नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त हिस्से की हद तक अनुपातिक रूप में प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

3/3/21
(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

3/3/21
(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 328/20 दायरा दिनांक :—21.10.20 पर्चा डिक्री दिनांक :— 03.03.21

1. बलबीर
2. रामकुवार
3. नन्दराम

   जगदीश पुत्रान छीतर जाति अहीर निवासीयान धोकलनगर (ढाणी छापुर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र मामराज
2. भवानीशंकर पुत्र दुर्गा पौत्र मामराज
3. धर्मपाल
4. लीलाराम पुत्रान ईशर पौत्र मामराज
5. विमला
6. संतोष
7. रामरति
8. पार्वती
9. रोशनी पुत्रीयान ईशर पौत्रीयान मामराज
10. छोटी पत्नी ईशर जातियान जाट निवासी हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से **श्री सरेश यादव एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 03.03.2021** को **श्री रामसिह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः—**

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से पूर्ण रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाया जाने पर विवादित आराजी ख0न0 96 रकबा 4.48 है0 वाके ग्राम हटूण्डी तहसील मुण्डावर जिला अल[illegible] डिक्री किया जाता है एवम उक्त विवादित आराजी ख0न0 96 रकबा 4.48 है[illegible]दी संख्या 1 के हिस्से में से रकबा 6 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 2 के [illegible] 3 लगायत 10 के हिस्से में से 6 बिस्वा कुल 18 बि[illegible]22 है0 का [illegible] को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम उपरोक्तानु[illegible] रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दि[illegible] की हद तक अनुपातिक रूप में प्रतिवादीगण के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3/3/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0